



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092022-238799
CG-DL-E-14092022-238799

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4086]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2022/भाद्र 22, 1944

No. 4086]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022/BHADRA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2022

का.आ. 4267(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1218(अ), दिनांक 21 मार्च 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के यदाद्री भुवनगिरि जिले में वालिगोंडा-थोररूर सेक्शन के NH-930P के कि.मी. 49.900 से कि.मी. 51.200 और कि.मी. 56.400 से कि.मी. 82.375(रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, भोंगीर) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), तथा अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"19 मई, 2022"** को **"द हिन्दू"**(अंग्रेजी) और **"नमस्ते तेलंगाना"**(तेलुगु) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के यदाद्री भुवनगिरि जिले में वालिगोंडा-थोररूर सेक्शन के NH-930P के कि.मी. 49.900 से कि.मी. 51.200 और कि.मी. 56.400 से कि.मी. 82.375 तक (रेवेन्यु डिविजनल ऑफिसर, भोंगीर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: यदाद्री भुवनगिरि			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अड्डगुडूरु				
	गांव का नाम: अड्डगुडूरु				
1	840	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.25293	शीलम संदीप सॉन ऑफ रमेश ()
2	840	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.0607	शीलम अंडालु डॉटर ऑफ बुचैया ()
3	841	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.12141	शीलम अंडालु डॉटर ऑफ बुचैया ()
4	841	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.18211	शीलम वेंकन्ना सॉन ऑफ नरसैया ()
5	841	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.27316	शीलम संदीप सॉन ऑफ नागेश ()
6	841	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.22258	महम्मदसीम हुसैन सॉन ऑफ अरीफ ()
7	841	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.23269	शीलम कालिदासु सॉन ऑफ बुचैया ()
8	841	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.23269	सोमा विगेशरेड्डी सॉन ऑफ जगगारेड्डी ()
9	841	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.18211	शीलम संदीप सॉन ऑफ रमेश(1-टामराइंड ट्री, 2-टॉण्ड्री ट्रीस) ()
10	841	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.55644	शीलम संदीप सॉन ऑफ नागयया(10-2.5 इंचेज इंटरनल पी वि सी पाइप्स) ()
11	843	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.34398	कोठी नागम्मा डॉटर ऑफ जयपाल रेड्डी ()

12	843	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.17199	सोलिपुरम लक्ष्मारेड्डी सॉन ऑफ चंद्रा रेड्डी ()
13	846	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.14164	कोम्पल्ली ललैया सॉन ऑफ वेंकटैया(2-टॉडु ट्रीस) ()
14	846	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.2529	शीलम स्वामी सॉन ऑफ राममल्लू ()
गांव का नाम: चिरागुडूर					
15	26	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.07082	दर्शनाला नवीन कुमार सॉन ऑफ चिन्ना नरसिम्हा ()
16	26	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.07082	बोनाशी सुजाता वाइफ ऑफ सतीश ()
17	29	सरकारी	सूखा(कृषि भूमि)	0.010117	बोनाशी सुजाता वाइफ ऑफ सतीश(1-टॉम्ब) ()
18	29	सरकारी	सूखा(कृषि भूमि)	0.030351	दर्शनाला नवीन कुमार सॉन ऑफ चिन्ना नरसिम्हा(1-टॉम्ब एंड 1-बोरवेल) ()
19	29	सरकारी	सूखा(कृषि भूमि)	0.060703	दर्शनल मुतैया सॉन ऑफ चिन्ना सैलू ()
20	29	सरकारी	सूखा(कृषि भूमि)	0.007588	चौगोनी सतैया सॉन ऑफ गोपैया ()
21	29	सरकारी	सूखा(कृषि भूमि)	0.012646	चौगोनी यादगिरि सॉन ऑफ गोपैया(3- टॉम्बस) ()
22	29	सरकारी	सूखा(कृषि भूमि)	0.020234	कडियाम रामुलु सॉन ऑफ रामस्वामी ()
23	39	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.010117	दर्शनाला नरसम्मा वाइफ ऑफ यादगिरि ()
			कुल	3.520726	

[फा. सं. 589/DPR/Gowrelly-Valigonda/DCE/EE/DEE1/AEE1/NH/2017/1/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2022

S.O. 4267(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O No. 1218(E) dated 21st March 2022**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for

building(widening/ two/four-lane with paved shoulder, etc.), Maintenance, management and operation of **Valigonda-Thorrur Section of NH-930P on the stretch of land from Km 49.900 to Km 51.200 & Km 56.400 to Km 82.375 (Revenue Divisional Officer, Bhongir) in the district of YADADRI BHUVANAGIRI** in the state of TELANGANA;

And whereas the substance of the said notification has been published in **“The Hindu”(English)and “Namasthe Telangana”(Telugu) both dated 19th May 2022**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-930P in the stretch of land from Km 49.900 to Km 51.200 & Km 56.400 to Km 82.375 (Revenue Divisional Officer, Bhongir) of Valigonda-Thorrur Section in the district of YADADRI BHUVANAGIRI in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA			District: YADADRI BHUVANAGIRI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Addaguduru				
	Village: Addagudoor				
1	840	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.25293	Sheelam Sandeep son of Ramesh
2	840	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.0607	Sheelam Andalu daughter of Buchaiah
3	841	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.12141	Sheelam Andalu daughter of Buchaiah
4	841	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.18211	Sheelam Venkanna son of Narsaih
5	841	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.27316	Sheelam Sandeep son of Nagesh
6	841	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.22258	Mahammadaseem Hussain son of Areef
7	841	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.23269	Sheelam Kalidasu son of Buchaiah
8	841	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.23269	Soma Vigneshreddy son of Jaggareddy
9	841	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.18211	Sheelam Sandep son of Ramesh(1-Tamarind Tree, 2-Toddy Trees)
10	841	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.55644	Sheelam Sandeep son of Nagaiah(10-2.5 Inches Internal PVC pipes)
11	843	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.34398	Kothi Nagamma daughter of Jayapal reddy

12	843	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.17199	Solipuram Laxmareddy son of Chandra reddy
13	846	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.14164	Kompalli Lalaiah son of Venkataiah(2-Toddy Trees)
14	846	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.2529	Sheelam swamy son of Rammallu
Village: Chirragoodur					
15	26	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.07082	Darshanala Naveen Kumar son of Chinna Narsimha
16	26	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.07082	Bonashi Sujatha wife of Satish
17	29	Government	Dry(Agriculture)	0.010117	Bonashi Sujatha wife of Satish(1-Tomb)
18	29	Government	Dry(Agriculture)	0.030351	Darshanala Naveen Kumar son of Chinna Narsimha(1-Tomb and 1-borewell)
19	29	Government	Dry(Agriculture)	0.060703	Darshanala Mutaiah son of Chinna Sailu
20	29	Government	Dry(Agriculture)	0.007588	Chougoni Sataiah son of Gopaiah
21	29	Government	Dry(Agriculture)	0.012646	Chougoni Yadagiri son of Gopaiah(3-Tombs)
22	29	Government	Dry(Agriculture)	0.020234	Kadiyam Ramulu son of Ramaswamy
23	39	Private(patta)	Dry(Agriculture)	0.010117	Darshanala Narsamma wife of Yadagiri
			TOTAL	3.520726	

[F. No. 589/DPR/Gowrelly-Valigonda/DCE/EE/DEE1/AEE1/NH/2017/1/3D2]

RAJESH GUPTA, Director